# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

## (अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

## पंचायत रिवीजन संख्याः 16/2014

## दायर दिनांकः 21.07.2014

## निर्णय दिनांक 06.01.2026

—: अनवान :—

1. श्री शंकरलाल पिता उदयराम जी तेली उम्र 45 वर्ष,
2. श्री पृथ्वीराज पिता नाना लाल जी सुथार, उम्र 55 वर्ष
3. श्री कालूराम पिता अमरा जी गुर्जर, उम्र 30 वर्ष
4. श्री बंशी लाल पिता गणेश जी सुथार, उम्र 60 वर्ष,
5. श्री रूप लाल पिता परथा जी सुथार, उम्र 60 वर्ष

निवासी गांव रघुनाथपुरा, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— निगराकारगण

बनाम

1. श्री भागीरथ पिता कालू जी लुहार, उम्र 52 वर्ष, निवासी रघुनाथपूरा तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद (राज0)
2. ग्राम पंचायत, धायंला, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, धांयला, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद (राज0)

— गैर निगराकारगण

**निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत धांयला द्वारा जारी पट्टा संख्या दिनांक 27.12.04**

उपस्थित :—

1. श्री गिरीश पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत धांयला द्वारा जारी पट्टा संख्या दिनांक 27.12.04 ग्राम रघुनाथपूरा, ग्राम पंचायत धांयला, पंचायत समिति राजसमंद के द्वारा विपक्षी संख्या एक को 30 X 45 फीट का भूखण्ड

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रियायती दर पर कोरम में निणर्य कर जारी किया गया। उक्त पट्टे को 1350/– रुपये में जारी किया गया। ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 के द्वारा गाँव रघुनाथपूरा मैं बस स्टैण्ड रघुनाथपूरा, पर सामुदायिक भवन के पास पडत खाली जमीन को वर्षो से आबादी की होकर विपक्षी संख्या 2 के आधिपत्य व नियंत्रण में चली आ रही हैं, एवं उक्त भूमि खाली पड़ी हुई हैं, सा नि की उस स्थान पर किसी का कब्जा नहीं था। प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासीयो ने ग्राम रघुनाथपूरा, बस स्टेण्ड के पास जो सार्वजनिक उपयोग का सामुदायिक भवन बना हैं, उस के पास खाली पड़ी भूमि को सार्वजनिक हित में सामुदायिक भवन विस्तार हेतु आरक्षित करने व उसका पट्टा जारी करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 के यहां प्रस्तुत किया गया। निगराकार एवं अन्य ग्रामवासीयो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 2 पत्रावली कायम कर नियमानुसार बस स्टेण्ड रघुनाथपूरा के पास सामुदायिक भवन व उसके सटमा खाली पड़ी जमीन का मौका दिनांक 13.12.2013 को देखा गया, व ग्राम पंचायत ने मौका पर्चा कायम कर दिनांक 29.12.2012 को आपति पत्र भी जारी करते हुए सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया। आपति पत्र पर किसी व्यक्ति ने कोई आपति नहीं की, तत्पश्चात नियमानुसार समय गुजरने पर दिनांक 05.12.2013 को आ.नं. 60 में से 30 X 45 फीट का भूखण्ड का पट्टा प्रशासन गांवो के संग अभियान में निःशुल्क जारी किया गया। जिस का पट्टा सं. 66 होकर दिनांक 05.12.2013 को नियम 162 राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमानुसार जारी किया गया। विपक्षी संख्या एक ने न जाने किस प्रकार ग्राम पंचायत के यहां से फर्जीवाडा करके दिनांक 02.11.1981 को पट्टा सं. 2340 निःशुल्क प्राप्त कर लिया, जबकि प्रार्थी आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति होकर, इनकम टैक्स देय व्यक्ति हैं, उसने फर्जी रूपेण तत्कालीन सरपंच से मिलकर पट्टा प्राप्त कर लिया, परन्तु मौके पर कभी भी कब्जा नहीं किया। विपक्षी संख्या दो ने निःशुल्क पट्टा होते हुए भी बिना विपक्षी संख्या 2 के द्वारा पट्टे को निरस्त नहीं करने के बावजूद भी दुबारा उसी स्थान का पट्टा दिनांक 27.12.2004 को रियायती दर पर प्राप्त कर लिया, पंचायत में दोनो ही पट्टे का कोई रेकार्ड नहीं हैं। विपक्षी संख्या 2 ने ग्रामवासी रघुनाथपूरा द्वारा सार्वजनिक हित में जो निःशुल्क पट्टा चाहा तो पंचायत ने जारी किया है, उक्त स्थान पर विपक्षी संख्या 2 के द्वारा अवैध रूपेण कब्जा करने का प्रयास किया, तब छाया प्रति विपक्षी सं एक के द्वारा देने पर जानकारी पंचायत से करने पर दोनो ही पट्टे फर्जी होने की जानकारी हुई हैं। विपक्षी संख्या एक व दो ने मिलकर दिनांक 05.12.2013 को जारी पट्टा सं 66 को निरस्त करने पर आमादा है, और फर्जी रूपेण प्राप्त पट्टे को सही मान कर विपक्षी संख्या एक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और राजनेतिक प्रभाव के चलते प्रार्थीगण व गांव वालों को कार्यवाही करने से भी रोका जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं, कि प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर, विपक्षीगण द्वारा दुरभि सन्धी करके रियायती दर पर पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिनांक 27.12.04 को जारी किया गया है, तथा पूर्व से दिनांक 02.11.1981 को भी निःशुल्क पट्टा जारी करना बताया गया हैं। दोनों पट्टो की जांच करा कर दोनो फर्जी पट्टा को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे। दोषी व्यक्यिों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय मैं जानकारी कार्यवाही भी अमल में लाई जावे। सार्वजनिक हित में सामुदायिक भवन विस्तार हेतु पट्टा संख्या 66 दिनांक 05.12.2013 को जो जारी किया गया हैं, उसके ऊपर विपक्षीगण बिना सूचना दिये कार्यवाही नहीं करे, इस हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 27.12.2004 एवं दिनांक 02.11.1981 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता मुकेश तलेसरा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई तथा ग्राम पंचायत धायला से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। किन्तु ग्राम पंचायत धायला में पट्टा पत्रावली उपलब्ध नही होना बताया।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष कि विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि निगराकार ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत धायंला, पंचायत समिति राजसमन्द के निवासियान हैं। प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों ने ग्राम रघुनाथपुरा बस स्टैण्ड के पास जो सार्वजनिक उपयोग का सामुदायिक भवन बना हैं उसके पास खाली पड़ी जमीन को सार्वजनिक हित में सामुदायिक भवन विस्तार हेतु आरक्षित करने एंव उसको सार्वजनिक उपयोग–उपभोग हेतु विस्तारित हैं। निगराकार व अन्य ग्राम वासियों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या दो पत्रावली कायम कर नियमानुसार बस स्टैण्ड रघुनाथपुरा के पास सामुदायिक भवन व उसके समीप खाली पड़ी जमीन का मौका दिनांक 13.12.2012 को देखा गया व ग्राम पंचायत द्वारा मौका पर्चा कायम कर दिनांक 29.12.2012 को आपत्ति पत्र जारी करते हुए सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया तब तक विपक्षी संख्या एक को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई आपत्ति नहीं देख नियमानुसार समय गुजरनें पर दिनांक 05.12.2013 को आराजी संख्या 60 में से 45 x 30 फीट

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूखण्ड का पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान में निशुल्क जारी किया गया जिसकी पट्टा संख्या 66 होकर दिनांक 05.12.2013 को नियम 162 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियमानुसार जारी किया गया। पट्टा संख्या 66 दिनांक 05.12.2013 को जारी किया गया जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या एक को होने पर विपक्षी संख्या एक ने उक्त स्थान पर खड्डे खोदना शुरू कर दिया और पत्थर डलवा दिये तब निगराकार एंव ग्राम वासियों ने कब्जा न करने को कहा तो विपक्षी संख्या एक ने 2 पट्टे की कॉपी दी और कहा कि उक्त जमीन के मेरे पास पट्टे हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या दो के कार्यालय में जाकर विपक्षी संख्या एक के द्वारा दिये गये पट्टे की छायाप्रति देकर उक्त पट्टों की छायाप्रति के आधार पर प्रमाणित नकल चाही गई तो ग्राम पंचायत धायंला में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना बताया गया। विपक्षी संख्या एक ने न जानें किस प्रकार ग्राम पंचायत धायंला के यहां से फर्जीवाड़े करके दिनांक 02.11.1981 को पट्टा संख्या 2340 निशुल्क प्राप्त कर लिया जबकि विपक्षी संख्या एक आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति होकर आयकरदाता हैं उसनें फर्जीरूपेण तत्कालीन सरपंच से मिलकर पट्टा प्राप्त कर लिया परन्तु मौके पर कभी कब्जा नहीं किया। विपक्षी संख्या एक ने निशुल्क पट्टे होते भी बिना विपक्षी संख्या दो के द्वारा निरस्त करने के बावजूद दोबारा उसी स्थान का पट्टा दिनांक 27.12.2004 को रियायती दर पर प्राप्त कर लिया। पंचायत में दोनों ही पट्टों का कोई रिकार्ड नहीं हैं। विपक्षी संख्या दो ने ग्राम वासियों रघुनाथपुरा द्वारा सार्वजनिक हित में जो निशुल्क पट्टा पंचायत ने जारी किया उक्त स्थान पर विपक्षी संख्या दो के द्वारा अवैधरूपेण कब्जा करने का प्रयास किया तब एक छायाप्रति विपक्षी संख्या एक के द्वारा देने पर जानकारी पंचायत समिति से करने पर दोनों ही पट्टे फर्जी होने की जानकारी हुई। विपक्षी संख्या एक व दो मिलकर दिनांक 05.12.2013 को जारी पट्टा संख्या 66 को निरस्त करने पर आमादा हैं और फर्जीरूपेण पट्टे को सही मानकर विपक्षी संख्या एक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हैं और राजनैतिक प्रभाव के चलते ग्रामवासीयों को कार्रवाई करने से भी रोका जा रहा हैं। विपक्षी संख्या एक को जारी पट्टा दिनांक 27.12.2004 की पूर्व में प्राप्त पट्टा दिनांक 02.11.1981 की जानकारी प्रथम मर्तबा दिनांक 15.06.2014 को होने पर पंचायत से नकल लेने हेतु प्रयास किया गया परन्तु वहां पर भी कोई रिकार्ड होना नहीं पाया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण द्वारा दूरभि सन्धि करके रियायती दर पर पट्टा दिनांक 27.12.2004 को जारी किया गया तथा पूर्व में दिनांक 02.11.1981 को भी निशुल्क पट्टा जारी करना बताया गया, उक्त दोंनों पट्टों की जानकारी कराकर दोनों फर्जी पट्टों को निरस्त करानें का आदेश फरमाया जावें व उक्त दोषियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में फौजदारी कार्रवाई भी अमल में लाई जावें तथा विपक्षीगण को पाबन्द किया जावें कि बिना सूचना दिये कोई कार्रवाई नहीं करें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने लिखित का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसे ही मेरी बहस माना जावें। उक्त जवाब/बहस में निवेदन किया कि विपक्षी के पक्ष में ग्राम पंवायत धांयला द्वारा दिनांक 02.11.1981 को पट्टा संख्या 2340 जारी किया गया। तब से विपक्षी पटटेशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। इस भूमि को आबाद किया है, 35 वर्ष पश्चात इस पट्टे को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी याचिका पेश की है, जो बेरान मयाद होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे का नवीनीकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.12.2004 को किया गया है, जिसके संबंध में 1350 रूपये की रतीद जमा करवाकर रसीद सं0 44 ग्राम पंचायत से जारी करवाई गई है। उक्त पट्टेशुदा भूमि को विपक्षी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। तथा निगराकार ने अनुचित दबाव बनाकर इस संपत्ति की हडपने के उद्देश्य से इसे सार्वजनिक बताया जा रहा है जबकि सामुदायिक भवन इस भूमि के पास में स्थित है। इस भूखण्ड पर विपक्षी काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा इस भूतण्ड के संबंध में मौका रिपोटे बनाएँ गई है। इसके अनुसार मौके पर भूखण्ड में एक कमरा बना हुजा है, एक टीन शेड बना हुवा है, तथा पशु बाँधने के लिए टाप बनी हुई है। यह मौका रिपोर्ट न्यायालय के आदेश से दिनांक 03.01.2015 को बनाई गयी है, जिसकी प्रति न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। सिविल न्यायालय द्वारा इस भूखण्ड के संबंध मे राज्य सरकार के विरुद्ध स्थगन आदेश भी दिनांक 05.01.2015 को जारी किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा भी इस भुखण्ड एवं इस पर बने हुर कमरे के संबंध में तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत से मौका रिपोर्ट तलब की गई है, वहा पर भी मौका रिपोर्ट विपक्षी का कब्जा आधिपत्य व कमरा निर्मित होना प्रमाणित माना गया है। निगराकार द्वारा तत्कालिन सचिव पर दबाव बनाकर वर्ष 2013 में सामुदायिक भवन के लिए पटटा सं0 66 जारी करवाया है, जो पश्चातवर्ती दस्तावेज है, व फर्जी रूप से जारी हुआ है और पूर्व में विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा प्रभावी होने से पश्चातवर्ती पटटे को कोई आवश्यकता नहीं है, प्रारम्भ से ही अवैध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने है निरस्त फरमाई जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि यह निगरानी दो दस्तावेजों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रथम दस्तावेज आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) हैं, जो कि ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा श्री भागीरथ पुत्र कालु के पक्ष में दिनांक 02.11.1981 को जारी किया गया था। यह पट्टा अनुसुचित जाति व जनजाति, कारिगरो लघु व सिमान्त कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन के रूप में यह भू खण्ड आवंटित किया गया था। इसी भूखण्ड का दुसरा पट्टा ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा दिनांक 27.12.2004 को राजस्थान पंचायती

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत रियायती दर पर मूल्य 1350/– रूपयें में जारी किया गया। ग्राम पंचायत के अभिलेखो तथा कार्यवाही विवरण से यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 02.11.1981 को जो पट्टा जारी किया गया था व आंवटी द्वारा रजिस्टर्ड/पंजीकृत नही करवाया गया था। अतः उसका कानूनी महत्व समाप्त हो गया था और उस बैंक लोन आदि लिये जाने संभव नही होने से दिनांक 27.12.2004 को एक दुसरा पट्टा उसी भू खण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा भागीरथ लौहार के पक्ष में जारी किया गया। इसी भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा दिनांक 13.12.2012 को सामुदायिक भवन के लिए भी निः शुल्क जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा यह भू खण्ड सामुदायिक भवन के नजदीक होने से इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक कार्य हेतु दिनांक 05.02.2013 को आवंटित/आरक्षित कर दिया गया। अब हम यहॉ एक–एक दस्तावेजो पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

सर्वप्रथम दिनांक 02.11.1981 को जो पट्टा जारी किया गया था उसकी शर्त संख्या 08 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि इस भूमि के आंवटन के 02 वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतो के दस्तावेजो के अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि इस भू खण्ड पर आज तक निर्माण कार्य नही किया गया है यानि कि आवंटन जो कि वर्ष 1981 में हुआ था। उसके 45 वर्ष के पश्चात भी जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया था उसका उपयोग नही किया गया। ऐसी स्थिति में इस पट्टे में अंकित शर्त संख्या 08 के अनुसार यह आवंटन स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं।

दुसरा पट्टा जो कि 27.12.2004 को जारी किया गया था वह नियम 167(1) के तहत जारी किया गया था। नियम 167(1) के तहत रियायती दर पर मूल्य 1350/– रूपयें में जारी किया गया। नियम 167(1) के तहत जो भी पट्टा जारी किया जाता है वह खुली निलामी के आधार पर किया जाता हैं और ग्राम पंचायत की कोरम में बातचीत के आधार पर जो भी दर लगाई जाती हैं। वह उस क्षैत्र की कम से कम आरक्षित दर होती हैं। उससे कम दर नही होती हैं। यहॉ ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में बैठक की जाकर एक स्वैच्छिक दर एक रूपया प्रति फिट लगा दी गई जिसका कोई आधार नही हैं। अतः ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा दिनांक 27.12.2004 को जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियमो में विरूद्ध है।

अतः प्रथम पट्टा जारी दिनांक 02.11.1981, जिसका कि 45 वर्ष के पश्चात भी पंजीयन नही कराया गया और उस पर किसी प्रकार का निर्माण नही कराये जाने से उक्त पट्टा अपना विधिक महत्व खो चुका हैं और निरस्त हो चुका हैं। तथा ग्राम पंचायत द्वारा द्वितीय पट्टा दिनांक 27.12.2004 को जो जारी किया गया वह भी नियम विरूद्ध जारी किये जाने से निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रूप से आरक्षित किया गया है। उस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नही समझता हूँ। साथ ही मैं यहॉ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि वादग्रस्त भूमि सामुदायिक भवन के पास हैं तो ग्राम पंचायत को यह पूर्ण अधिकार है कि वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रूप से आरक्षित करें।

अतः उपरोक्त विवेचना अर्न्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 27.12.2004 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धायॅला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 27.12.2004 को निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)